



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/634

दिनांक: -23/07/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (11) कम्पनियों का नाम पश्चिम बंगाल राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi
1	AA9222185	U67190WB2022PTC251355	ऑक्टेविया फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9273531	U22120WB2022OPC251648	हेक्सोज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AA9119548	U24100WB2019PTC233902	टेलरा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9151273	U74999WB2018PTC225544	सिक्सपॉइंट सोशल क्लब प्राइवेट लिमिटेड
5	AA9327768	U74140WB2011PTC171041	अरहान वेल्थ एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8647857	U51909WB2009PTC136289	इंप्रेशन डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA9077269	U72900WB2008PTC130293	उषा कनेक्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
8	AA9333786	U15432WB2005PTC104456	रक्सरीता इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AA9198506	U27310WB1959PTC024373	धनबाद इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,
10	AA9160002	U17125WB1974PTC029319	के सी डुगर (जूट एवं गनी) प्राइवेट लिमिटेड,
11	AA9267192	U72900WB2020PTC237163	नानामुना स्टोरी प्लेटफार्म प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्टार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्टार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्टार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्टार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्टार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0317/2425